भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1889

दिनांक 03.08.2016/12 श्रावण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

धर्म परिवर्तन में लगे एन.जी.ओ.

†1889. श्री लाल सिंह वडोदियाः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में कार्यरत कुछ गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उनका वित्तपोषण विदेशों से हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) से (घ): कतिपय गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) धार्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विदेशी अभिदाय प्राप्त करते हैं और विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम (एफसीआरए), 2010 में विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए ऐसे संगठनों के पंजीकरण का प्रावधान है। समय-समय पर ऐसे आरोपों के संबंध में सूचनाएं मिली हैं कि कुछ संस्थान धर्म परिवर्तन करवाने के कार्यों में संलिप्त हैं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार अपराध की रोकथाम करने, उसका पता लगाने, मामला दर्ज करने, उसकी जांच करने और अभियोजन चलाने की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। जब कभी भी कानून के उल्लंघन के मामले संज्ञान में आते हैं, तब विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विद्यमान कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।